न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर बोर्ड के समक्ष

प्रकरण क्रमांक /2010 निगरानी – 871 – I\10

1. मांगीलाल पिता सरदारसिंह (विकृत चित्त) द्वारा निकट मित्र संरक्षक संतोषकुमार, निवासी ग्राम जोगखेडी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर
2. संतोषकुमार पिता मांगीलाल, निवासी ग्राम चित्तोडा, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

शिवनारायण पिता सरदारसिंह राजपुत, निवासी ग्राम जोगखेडी,तहसील कालापीपल जिला शाजापुर तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/09–10/अपील में पारित आदेश दिनांक 29/03/2010 से व्यथित होकर पुनरीक्षण निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण आवेदन, अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर सविनय सादर प्रस्तुत है :–

1) यह कि, अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार कालापीपल के समक्ष धारा 178 एवं धारा 250 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959 के आधीन एक आवेदन पत्र संयुक्त खाते की भुमि के बंटवारे के लिए प्रस्तुत किया।

2) यह कि, उक्त आवेदन मे तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया इसके विरूद्ध भी निगरानी,अपर कलेक्टर शाजापुर को प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण कं. 119/निगरानी/04–05 निरस्त की। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपील आधीनस्थ माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग,उज्जैन मे अपील प्रकरण कं. 136/09–10/अपील प्रस्तुत हुई। आधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ने उक्त अपीलो मे अधिनस्थ सभी न्यायालयों की कार्यवाही विचाराधिकार नही होते हुए भी निरस्त की तथा प्रकरण तहसीलदार,कालापीपल को प्रत्यावर्तित कर यह निर्देश दिए कि "मेडिकल बोर्ड से इस बात की पुष्टि करावे की क्या मांगीलाल विकृत चित्त का व्यक्ति है। यदि उसका विकृत चित्त होना सिद्ध होता है तो सक्षम अधिकारी से इनके वैध संरक्षक कौन है, इसकी जाँच की जावे तथा वैध संरक्षक की पुष्टि होने पर विधि अनुसार आगामी कार्यवाही की जावे। यदि विकृत चित्त का व्यक्ति होना सिद्ध नही हो तो बंटवारे की कार्यवाही के संबंध मे गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करे।" यह आदेश विचाराधिकार विहीन तथा विधि व विधान के विपरित है क्योंकि विकृत चित्त व्यक्ति भी बँटवारा करने का अधिकारी है। प्रकरण मे कार्यवाही विकृत चित्त व्यक्ति के निकट मित्र/नेचुरल संरक्षक पुत्र द्वारा की जा रही है। इसका ध्यान माननीय अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने नही रखा है।

3) यह कि, इस प्रकार माननीय आधीनस्थ योग्य अपर न्यायालय ने बंटवारे के आदेश को निरस्त करके यह आदेश पारित किया कि यदि आवेदक मांगीलाल विकृत चित्त का व्यक्ति होना सिद्ध न हो तो बंटवारे की कार्यवाही की जावे। जिसका तात्पर्य यह कि

निरन्तर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/871/एक/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 19/09/2015 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	